

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 36/2019

GCMS No-2019/00132

प्रार्थी:-
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम
आसुसिंह पुत्र मोडसिंह रावत मैसर्स
आसुसिंह किराणा स्टोर, मैन बाजार,
जोजावर पाली निवासी गुडा पदमसिंह
बेरा कातेरिया, जोजावर तहसील मारवाड़
जंक्शन जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी स्वयं

—: निर्णय :-

दिनांक : 05.04.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 13.02.2019 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म आसुसिंह किराणा स्टोर, मैन बाजार, जोजावर पाली पर पहुँचा, वहाँ फर्म के मालिक (विक्रेता) की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया की आमजन में बिक्री हेतु 02 पैक टीन 15 किलोग्राम मूंगफली तेल (ब्राण्ड त्रिरूपति) के रखे हुए थे, जिनमें मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात टिन खुलवाकर 1400 ग्राम मूंगफली का तेल के नमूने को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा तेल को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर, उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-883 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./114/एक्ट/2019/161 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मूंगफली के तेल को sub-standard का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य मूंगफली तेल (ब्राण्ड त्रिरूपति) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस जूरुम स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया कि उससे भूल हो गई तथा भविष्य में कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। अतः माफ कराने का कष्ट करावें।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2019 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया तो, वहां पर आसुसिंह पुत्र मोडसिंह मालिक (विक्रेता) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5-ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.02.2019 को आमजन का बिक्री हेतु रखे हुए मूंगफली तेल (ब्राण्ड त्रिरूपति)को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-883 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस. /114/एक्ट/2019/161 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-883 को "The sample of Groundnut Oil bearing Code No. and Sr. No. R-883 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is Sub-Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011" का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए. /2019/2676 दिनांक 05.03.2019 के द्वारा विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो उसके द्वारा नहीं करवाए जाने से उसके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा मूंगफली तेल (ब्राण्ड त्रिरूपति) जो जॉच में Sub-Standard पाये गये, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खाद्य मूंगफली तेल (ब्राण्ड त्रिरूपति) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी आसुसिंह पर 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली